14. राज्य विधानमंडल

राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केन्द्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 में राज्य विधान मंडल की शक्तियों, सुविधाओं, कार्यवाही, अधिकारियों, कार्यकाल, संगठन आदि के बारे में बताया गया है।

राज्य विधानमंडल का गठन

राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एकरूपता नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है जबकि कुछ में द्विसदनीय है। इस समय केवल 6 राज्यों में दो सदन हैं ये हैं आन्ध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू एवं कश्मीर। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां विधानमंडल में राज्यपाल, विधानपरिषद् और विधानसभा होते हैं।

दो सदनों का गठन

विधान सभा का गठन

संख्या:- विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 तय की गई है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में यह संख्या 30 तय की गई है एवं मिजोरम व नागालैंड के मामले में क्रमश: 40 एवं 46। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं।

मनोनीत सदस्य

राज्यपाल आंग्ल-भारतीय समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण

संविधान में राज्य जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति की सीटों की व्यवस्था की गई है।

विधान परिषद का गठन

संख्या:- विधानसभा सदस्यों से हटकर विधानपरिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते है। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की एक तिहाई और न्यूनतम 40 निश्चित है।

निर्वाचन पद्धति

- विधानपरिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के जरिए चुने जाते हैं।
- 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं।
- 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम स्तर के नहीं होने चाहिये।
- 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा लोगों के बीच से किया जाता है, जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाजसेवा का विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव हो।
- इस तरह विधानपरिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करता है।

दोनों सदनों का कार्यकाल

विधानसभा का कार्यकाल: लोकसभा की तरह विधानसभा भी लगातार चलने वाला सदन नहीं है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर इसका सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। इस काल के समाप्त होने पर विधानसभा स्वत: ही भंग हो जाती है, हालांकि इसे किसी भी समय भंग करने के लिए राज्यपाल अधिकृत है।

- राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में एक वर्ष तक के लिए (कितने भी समय के लिए) बढ़ाया जा सकता है।

विधानपरिषद का कार्यकाल

राज्यसभा की तरह विधानपरिषद एक नियमित सदन है, यानी कि स्थायी अंग जो भंग नहीं होता। लेकिन इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, इस तरह एक सदस्य छह वर्ष के लिए नियमित रहता है।

राज्य विधानमंडल की सदस्यता

योग्यताएं :-

विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए संविधान में उल्लिखित किसी व्यक्ति की योग्यताएं निम्नलिखित हैं-

- उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
- विधानसभा के मामले में 25 वर्ष से कम और विधान

परिषद के मामले में 30 वर्ष से कम उसकी आयु नहीं होनी चाहिए।

- संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी उसमें होनी चाहिए।
- विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में भी होना चाहिए।

अयोग्यताएं

राज्य विधानमण्डल के सदस्य बनने पर संविधान के तहत उस व्यक्ति को निम्नलिखित कारणों से अयोग्य घोषित किया जा सकता है–

- संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के तहत उसे अयोग्य करार दिया गया हो।
- यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर है।
- यदि उसे कानूनी तौर पर पागल घोषित किया गया हो।
- यदि वह दिवालिया हो।

दल-बदल के आधार पर अयोग्यता

राज्य विधानमंडल के सदस्य को संविधान में 10वीं अनुसूची में दल-बदल के कारण उसे अयोग्य ठहराने की व्यवस्था है। 10वीं अनुसूची के तहत यदि अयोग्यता का मामला उठे तो विधानपरिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष (राज्यपाल नहीं) फैसला करेगा।

स्थानों का रिक्त होना

निम्नलिखित मामलों में विधानमंडल सदस्य का पद रिक्त हो जाता है –

- **दोहरी सदस्यता:** एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता।
- **अयोग्यता:** राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि अयोग्य पाया जाता है, तो उसका पद खाली हो जाएगा।
- **त्यागपत्र:** कोई सदस्य अपना लिखित इस्तीफा विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अ ध्यक्ष को दे सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा।
- **अनुपस्थिति:** यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता हैं।
- **अन्य मामले:** किसी सदस्य का पद रिक्त हो सकता है–
  - यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित हो जाए।
  - यदि उसे सदन से निकाल दिया जाए।
  - यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए और।
  - यदि न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया जाए।

विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी

राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधानपरिषद के लिए सभापति एवं उप सभापति होता है।

विधानसभा अध्यक्ष

विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। सामान्यत: विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष पदासीन रहता है। हालांकि समय से पूर्व भी वह निम्नलिखित मामलों में अपना पद छोड़ सकता है–

- यदि विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास कर उसे हटा दिया जाए।
- यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए।
- यदि वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे दे और।

अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य होते हैं-

- प्रथम मामले में वह मत नहीं देता लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में वह फैसला देने के लिए ऐसा कर सकता है।
- सदन के नेताओं के आग्रह पर वह विशेष बैठक को अनुमति प्रदान कर सकता है।
- वह इस बात का निर्णय कर सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
- दसवीं अनुसूची के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता को लेकर उठे किसी विवाद पर वह फैसला दे सकता है।
- कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चि करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखता है।
- कोरम के पूरा न होने पर वह विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है।

विधानसभा उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की तरह ही विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने बीच से ही करते हैं। अध्यक्ष की ही तरह उपाध्यक्ष भी विधानसभा के कार्यकाल तक पद पर बने रहता है, हालांकि समय से पूर्व भी निम्नलिखित तीन मामलों में पद रिक्त हो सकता है–

- यदि विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का प्रस्ताव पास करे दे।
- यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए।
- यदि वह अध्यक्ष को इस्तीफा लिख दे और

विधान परिषद का सभापति

विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही सभापति को चुनते हैं। सभापति का पद निम्नलिखित तीन मामलों में रिक्त हो सकता हैं :–

- यदि विधानपरिषद में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का प्रस्ताव पास कर दें।
- यदि परिषद से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाय।

यदि वह उप सभापति को लिखित इस्तीफा दे दे, और

विधान परिषद का उपसभापति

सभापति की तरह ही उप सभापति को भी परिषद के सदस्य अपने बीच से चुनते हैं। उप सभापति का पद निम्नलिखित तीन मामलों में रिक्त हो सकता हैं–

- यदि परिषद के तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करे दें।
- यदि वह सभापति को इस्तीफा दे दे, और।
- यदि परिषद के सदस्य उसे हटा दें।

राज्य विधानमंडल का सत्र

सत्र (बैठक) के लिए बुलावा

राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय-समय पर बैठक का बुलावा भेजता है। दोनों सत्रों के बीच छह माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए।

स्थगन

बैठक को विशेष काल के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। यह समय घंटों, दिनों या हफ्तों का भी हो सकता है।

विघटन

एक स्थायी सदन के होने के नाते विधानपरिषद का विघटन नहीं हो सकता। सिर्फ विधानसभा का विघटन हो सकता है। स्थगन के विपरीत विघटन के तहत चालू सदन समाप्त हो जाता है और आम चुनाव के बाद नए सदन का निर्माण होता है। विधानसभा के विघटन होने पर विधेयकों के खारिज होने को हम इस प्रकार समझ सकते हैं-

- एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित हो (एक सदनीय विधानमंडल वाले राज्य में) या दोनों सदनों द्वारा पारित हो (बहु सदनीय व्यवस्था वाले राज्य में) लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पास पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो को समाप्त नहीं किया जा सकता।
- विधानसभा द्वारा पारित लेकिन विधानपरिषद में लंबित विधेयक खारिज हो जाता है।
- विधानसभा में लंबित (Pending) पड़ा विधेयक खारिज हो जाता है।
- एक विधेयक जो विधानपरिषद में लंबित हो लेकिन विधानसभा द्वारा पारित न हो, को खारिज नहीं किया जा सकता।

कोरम (गणपूर्ति)

किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। सदन में कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा (कार्यकारी अधिकारियों सहित) होता है जो कभी ज्यादा भी हो सकता है।

सदन में मतदान

किसी भी सदन की बैठक में कार्यकारी अधिकारियों को छोड़कर तय किए गए सभी मामलों को बहुमत के आधार पर तय किया जाता है। केवल कुछ मामले जिन्हें विशेष रूप से संविधान में तय किया गया है जैसे विधानसभा अध्यक्ष को हटाना या विधानपरिषद के सभापति को हटाना इनमें सामान्य बहुमत की बजाय विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

विधानमंडल में भाषा

विधानमंडल में कामकाज संपन्न कराने के लिए संविधान कार्यालयी भाषा या उस राज्य के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी की घोषणा करता है। हालांकि विधायी अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार

प्रत्येक मंत्री एवं महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग ले, बोले एवं सदन से संबद्ध समिति जिसके लिए वह सदस्य रूप में नामित है, वोट देने के अधिकार के बिना भी भाग ले।

- एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है।

विधानमंडल में विधायी कार्यपद्धति

साधारणा विधेयक

- **सदन में बने विधेयक:** एक साधारण विधेयक विधानमंडल

के किसी सदन में निर्मित हो सकता है। विधेयक तीन स्तरों के बाद पारित होता है–

- प्रथम वाचन
- द्वितीय वाचन
- तृतीय वाचन

- **दूसरे सदन में विधेयक :**

दूसरे सदन में भी विधेयक उन तीनों स्तरों के बाद पारित होता है। जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधानपरिषद में भेजा जाता है, तो वहां तीन विकल्प होते हैं–

- इस पर कोई कार्यवाही न की जाए और विधेयक को विचाराधीन रखा जाए।
- कुछ संशोधनों के बाद पारित कर विचारार्थ इसे विधानसभा को भेज दिया जाए।
- इसे उसी रूप में (बिना संशोधन के) पारित कर दिया जाए।
- विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए।

साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में विधानसभा को खास शक्ति प्राप्त है। ज्यादा से ज्यादा परिषद एक विधेयक को चार माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में तीन माह के लिए और दूसरी बार में एक-माह के लिए। संविधान में किसी विधेयक पर असहमति होने के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं रखा गया है।

राज्यपाल की स्वीकृति

विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं–

- वह राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख ले।
- वह विधेयक को अपनी मंजूरी देने से रोके रखे।
- वह सदन या सदनों के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे, और
- वह विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दे।

राष्ट्रपति की मंजूरी

यदि कोई विधेयक राज्यापाल द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरिक्षत रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो अपनी मंजूरी दे देते हैं, उसे रोक सकते या विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं।

वित्त विधेयक

राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक को पारित करने के मामले में संविधान में विशेष व्यवस्था है। यह निम्नलिखित है– वित्त विधेयक विधानपरिषद में पेश नहीं किया जा सकता। यह केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की संस्तुति के बाद पेश किया जा सकता है इस तरह का कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक होता है और सिर्फ एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित होने बाद एक वित्त विधेयक को विधानपरिषद को विचारार्थ भेजा जाता है। विधानपरिषद के पासे इसके मामले में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। वह न तो इसे अस्वीकार कर सकता है, न ही इसमें संशोधन कर सकता है। उसे इसमें संस्तुति देनी होती है और 14 दिनों में विधेयक को लौटाना भी होता है। विधानसभा इसके सुझावों को स्वीकार भी कर सकती है और खारिज भी।

अंतत: जब एक वित्त विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है तब वह इस पर अपनी मंजूरी दे सकता है, इसे रोक सकता है या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख सकता है लेकिन राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा सकता।

राज्य विधानमंडल एवं संसद के बीच कानूनी प्रक्रिया की तुलना

साधारण विधेयक के संबंध में

संसद	राज्य विधानमंडल
• यह संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।	• यह राज्य विधानमंडल के किसी सदन में पेश किया जा सकता है।
• यह किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।	• यह किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।
• मूल सदन में पहले, दूसरे और तीसरे वाचन के बाद यह पारित होता है।	• मूल सदन में पहले, दूसरे और तीसरे वाचन के बाद यह पारित होता है।

- यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें संसद के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन के सहमति हो।
- दोनों सदनों के बीच अंतिम बाधा तब होता है जब पहले सदन द्वारा पारित विधेयक को प्राप्त कर लिया जाए और पहले सदन द्वारा संशोधन को स्वीकार न कर छह महीने तक विधेयक को पारित न किया जाए।
- किसी विधेयक के मसौदे पर दोनों सदनों में असहमति होने पर, इसे पारित करने के लिए संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है।
- लोकसभा दूसरी बार विधेयक के पारित होने पर राज्यसभा के आगे नहीं जा सकती। दोनों सदनों के बीच एकमात्र रास्ता संयुक्त अधिवेशन है।

- यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन के सहमति हो।
- दोनों सदनों के बीच अंतिम बाधा तब होता है जब पहले सदन द्वारा संशोधन को स्वीकार न कर तीन महीने तक विधेयक को पारित न किया जाए।
- किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संविधान में प्रावधान नहीं है।
- जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर परिषद को भेजा जाता है तब यदि परिषद एक माह तक इसे पारित न करे तो यह उसी रूप में पारित माना जाएगा। जिस रूप में विधानसभा ने इसे पारित किया था।

धन विधेयक के संबंध में

संसद

- यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में।
- इसे केवल राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद ही पेश किया जा सकता है।
- यह केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है न कि निजी सदस्य द्वारा।
- इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे लोकसभा को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के अंदर लौटाना चाहिए।
- लोकसभा, राज्यसभा द्वारा सुझाए गए सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- यदि लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में पारित मान लिया जाता है।
- यदि लोकसभा किसी सुझाव को न माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप में पारित समझा जाएगा।

राज्य विधानमंडल

- यह केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है, न कि विधानपरिषद में।
- इसे केवल राज्यपाल की संस्तुति के बाद ही पेश किया जा सकता है।
- यह केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता न कि निजी सदस्य द्वारा।
- इसे विधानपरिषद द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे विधानसभा को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए।
- विधानसभा, विधानपरिषद की सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- यदि विधानसभा किसी सिफारिश के साथ इसे स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप से पारित मान लिया जाता है।
- यदि विधानसभा किसी सुझाव को न माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप से पारित माना जाएगा।

- यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिनों के भीतर न लौटाए तो तय सीमा के भीतर इसे पारित माना जाएगा।
- संविधान दोनों सदनों के बीच विधेयक पारित करने के लिए अंतिम विकल्प उपलब्ध नहीं कराता। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा राज्यसभा पर व्याप्त रहती है और वह यदि सहमत न हो तो पूर्व विधेयक

पास हो जाता है।
पाास हो जाता है।

राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार

राज्य विधानमंडल के कुछ विशेष अधिकार होते हैं। विध ानमंडल के सदनों, उसकी कमेटियों और सदस्यों को अपने कार्यों को प्रभावी रूप देने के लिए सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की जरूरत होती है। बिना इन सुविधाओं के सदन न तो वह व्यवस्था बना सकते हैं और न ही अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं।

सामूहिक विशेषधिकार :

प्रत्येक सदन को मिलने वाली सामूहिक विधानमंडलीय सुविधाएं इस प्रकार हैं-

- सदन की कार्यवाही की जांच अदालत नहीं करती।
- इन्हें अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने और कार्यवाही में बहस करने का अधिकार है।[17]

वे साक्ष्य देने या किसी केस में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं।

- यदि विधानसभा विधेयक को 14 दिनों के भीतर न लौटाए तो तय सीमा के भीतर इसे पारित माना जाएगा।
- संविधान दोनों सदनों के बीच पारित करने के लिए अंतिम विकल्प उपलब्ध नहीं कराता। ऐसा इसलिए क्योंकि विधान सभा विधानपरिषद पर व्याप्त रहती है और वह यदि सहमत न हो तो पूर्व विधेयक

- अपने सदस्य के पकड़ें जाने, जेल में डालने या छूटने की त्वरित जानकारी लेने का अधिकार।
- इन्हें यह भी अधिकार है कि महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त मंत्रणा करें।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार

- उन्हें सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह केवल फौजदारी मामले में है।
- राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- वे न्यायिक मामलो से मुक्त होते हैं। जब सदन चल रहा हो

राज्य विधानमंडल की सदस्य संख्या

क्र.सं.	राज्य	विधानसभा में सदस्य	विधानपरिषद में सदस्य संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	294	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	60	-
3.	असम	126	-
4.	बिहार	243	75
5.	छत्तीसगढ़	90	-
6.	गोवा	40	-
7.	गुजरात	182	-
8.	हरियाणा	90	-
9.	हिमाचल प्रदेश	68	-
10.	जम्मू और कश्मीर	76	36
11.	झारखंड	81	-

12.	कर्नाटक	224	63
13.	केरल	140	–
14.	मध्य प्रदेश	230	–
15.	महाराष्ट्र	288	78
16.	मणिपुर	60	–
17.	मेघालय	60	–
18.	मिजोरम	40	–
19.	नागालैंड	60	–
20.	उड़ीसा	147	–
21.	पंजाब	117	–
22.	राजस्थान	200	–
23.	सिक्किम	32	–
24.	तमिलनाडु	234	–
25.	त्रिपुरा	60	–
26.	उत्तरप्रदेश	403	100
27.	उत्तरांचल	70	–
28.	पश्चिम बंगाल	294	

EduBull.com